

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9882  
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 16/12/25

अप्रार्थीगण

1 उदाराम 2 बनाराम पिसरान  
मुलाराम जाति जाट निवासी  
जेठाराम बेनिवाल की ढाणी  
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 मेहाराम पुत्र सुजाराम 2 चैनाराम 3 विरधाराम  
पिसरान नानगाराम 4 मालाराम पुत्र भेराराम 5  
प्रदीप कुमार पुत्र दलाराम 6 खीयाराम पुत्र  
कानाराम 7 गेनाराम 8 पोकरराम 9 मुलाराम 10  
विरधाराम 11 हेराजराम पिसरान मगनाराम 12  
मगनाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी जेठाराम  
बेनिवाल की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-291/2025

दिनांक- 26/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जेठाराम बेनिवाल की ढाणी पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 593/293 रकबा 15.7908 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 16/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9883 -86

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी गरल तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण उदाराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी जेठाराम बेनिवाल की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मेहाराम पुत्र सुजाराम वगैराह जाति जाट निवासी जेठाराम बेनिवाल की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर